अनापत्ति प्रमाणपत्र

सेवा में,

श्रीमान अधिशासी अभियंता महोदय
लोकनिर्माण विभाग रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग

महोदय,

ग्रामसभा भुनका का मोटर मार्ग जग्गोली लाटू देवता से 5 किमी० नव निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाने हेतु आपके कार्यालय लो०नि०वि० को प्रस्तुत किया जाता है। कि पूरी ग्रामसभा की नवनिर्माण कार्य में कोई भी आपत्ति नहीं होगी।

महोदय से पूरी ग्राम सभा निवेदन करती है कि इस मोटरमार्ग का निर्माण तुरन्त करवा दिया जाय।

सदस्या
(1) श्रीमती सरिता देवी
(2) श्रीमती विनीता देवी
(3) — " — मंजु देवी
(4) श्री — दिलवरसिंह
(5) श्री — मानसिंह
(6) श्री — [signature]
(7) बलबीरसिंह [signature]
(8) [signature]
(9) संग्रामसिंह [signature]
(10) सरदारसिंह

प्रार्थी
प्रधान ग्राम पंचा... [stamp]
[signature]
दि० 21/11/2014
वि० ख० अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग

[signature]
गोविन्दसिंह
देवानन्द
रघुनाथसिंह
प्रतापसिंह
करनसिंह
[signature]
उदय सिंह
विरेन्द्र सिंह
कमलसिंह
राकेश

मनवरसिंह
मातासिंह
मनरसिंह
पंकजसिंह
लक्ष्मण सिंह
अदि सिंह
कविता देवी
[signature]
[signature]

36(A)

36

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत काण्डा अन्तर्गत जसोली - काण्डा मोटर मार्ग (दो कि०मी० अतिरिक्त) हुआ है उसके निर्माण से किसी व्यक्ति/महिला को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रधान ग्राम पंचायत काण्डा
ह०
वि०ख० अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग

तुलसी राम

(बी०डी०सी० सदस्य)

पूनम देवी

विमला

मंगला देवी

Photo copy Attached

सहायक अभियन्ता

27(B)

40(A)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–।
उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

(भूगर्भीय आख्या)

आख्या संख्या 22 / 1452 / 07

जनपद रुद्रप्रयाग में जसोली–काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

अप्रैल 2007

3(4013) (A)

जनपद रूद्रप्रयाग में जसोली--काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1 प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत 2.00 कि0मी0 लम्बाई में जसोली-- काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग में मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग के अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखन का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 10.4.2007 को संबंधित सहायक अभियन्ता श्री निर्भय सिंह एवं कनिष्ठ अभियन्ता श्री हरीश रावत के साथ निरीक्षण किया गया।

2. राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली--काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग का 2.00 कि0 मी0 लम्बाई में निर्माण कार्य स्वीकृत है। जसोली काण्डा हल्का वाहन मार्ग 3.00 कि0 मी0 लम्बाई में पूर्व निर्मित है। उसके अंतिम बिन्दु से आगे 2.00 कि0 मी0 लम्बाई में मार्ग का विस्तार किया जाना है। मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन संख्या एक, पूर्व निर्मित मार्ग के आगे 1:20 के डाऊनग्रेड में आरम्भ होता है तथा 2.00 कि0 मी0 लम्बाई पूर्ण कर काण्डा में समाप्त होता है। इस समरेखन में चार हेयर पिन बैण्ड दिये गये है जो प्रथम दृष्टया अधिक प्रतीत होते है। समरेखन अलग-अलग भाग में नाप भूमि, सिविल भूमि तथा आरक्षित वन भूमि से होकर गुजरता है। नाप भूमि में पहाड़ी ढलान सामान्यतः 20° से 35° तक है। परन्तु अन्यत्र वन भूमि में तथा चट्टानी भाग में ढलान 40° से 65° तक भी है। समरेखन क्षेत्र में क्वार्टजाईट व शिस्ट चट्टाने दृष्टिगोचर है। अवगत कराया गया कि प्रस्तावित समरेखन अधीक्षण अभियन्ता लो0 नि0 वि0 गोपेश्वर द्वारा अनुमोदित है।

3. समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति भू-आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे है, जिन्हे प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

(क) यथासम्भव मार्ग की पूरी चौडाई कटान करके प्राप्त की जाये। यह भविष्य में मार्ग की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहॉं रिटेनिंग दीवार का निर्माण अपरिहार्य हो वहॉं इनका निर्माण फर्म स्ट्रेटा पर समुचित परिकल्पना के आधार पर कराया जायें।

(ख) यह सुनिश्चित किया जाये कि समरेखन में प्रस्तावित हेयर पिन बैंड कम ढलान युक्त स्थि[...] भूमि में बनाये जाये। यथासम्भव दूरी बढाते हुये बैण्डस की सख्या को कम करने का प्रया[...] किया जायें तथा एक के ठीक ऊपर दूसरा बैंड न बनाया जायें।

(ग) समरेखन के समीप स्थित घरो से सुरक्षित दूरी रखते हुये बिना विस्फोटको का प्रयोग कि[...] मार्ग कटान किया जाये।

(घ) समरेखन में अपेक्षाकृत तीव्र पहाड़ी ढलान वाले भाग में सावधानीपूर्वक चट्टान में मार्ग का[...] किया जाये।

(ङ) जहां मार्ग कटान की ऊंचाई अधिक हो और स्ट्रेटा कमजोर हो आवश्यक होने पर[...] मार्ग कटान के साथ-साथ समुचित ब्रेस्ट वाल का निर्माण कराया जाये।

वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु रोडसाइड ड्रेन एवं स्कपर का प्रावधान किया जाये।
सुनिश्चित किया जाये कि स्कपर के पानी से भूक्षरण न हो।

(ड) पर्वतीय क्षेत्र मे मार्ग निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के अन्य मानकों एवं विशिष्टियों का भी पालन किया जाये।

4. मार्ग के नवनिर्माण विषयक स्थायित्व सम्बंधी बिन्दु—

(i) मार्ग कटान के पश्चात हिल साईड मे जिस स्थान पर over burden material होगा तथा पहाडी ढलान slope forming material के angle of repose से अधिक होगा उस भाग मे वर्षाकाल मे पहाडी ढलान के अस्थिर होने की सम्भावना हो सकती हैं।

(ii) तीव्र चट्टानी ढलान मे blasting किये जाने पर चट्टान के ज्वाइन्ट्स सक्रिय हो सकते है तथा नई दरारें भी उत्पन्न हो सकती हैं, जिनके कारण विपरीत परिस्थितियों में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। अतः जहां आवश्यक हो मार्ग कटान मे नियंत्रित ब्लास्टिंग की जायें।

(iii) समरेखन मे एक ही हिल फेस पर नियोजित किये गये हेयर पिन बैंडस पास–पास होने की स्थिति में मार्ग की आन्तों के मध्य दूरी कम रहेगी। तीव्र ढलान पर over burden material होने की स्थिति मे विपरीत परिस्थितियों मे ढलान के अस्थिर होने की सम्भावना हो सकती है।

5. जलोली–काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग हेतु 00 कि0 मी0 लम्बाई का प्रस्तावित समरेखन वर्तमान परिस्थितियों मे उपरोक्त सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है। इस हेतु प्रस्तावित भूमि भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है।

टिप्पणी

(1) भूमि हस्तातरण की दृष्टि से समरेखन क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एवं खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वेक्षण विवरण के आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आख्या है। मार्ग कटान के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन भी सम्भव है। समरेखन / मार्ग पर किसी विशिष्ट बिन्दु पर यदि सुझाव की आवश्यकता हो तो उसे अलग से अवगत कराया जाये।

(2) मुख्य अभियन्ता स्तर 1 लो0 नि0 वि0, देहरादून द्वारा समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को मार्गो के निर्माण एवं समरेखन निर्धारण के सम्बन्ध मे प्रेषित पत्रांक 7272 / 8(1)भूता0–उ0 / 05 दिनांक 16.11.2005 मे दियें गये निर्देशो का भी अनुपालन किया जायें

H. Kumar 13.6.07
भूवैज्ञानिक
कार्यालय मुख्य अभि० स्तर-1
लो०नि०वि० उत्तरांचल
देहरादून

Photo copy Attested

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.

(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.

(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.

(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.

(ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping is view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in roak. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.

(iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made

(v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with go d results.

(vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

A-2-30
A-2-31

मानक शर्तें:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके याचक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं होना।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्दादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वछन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूतिम का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वत बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सडक का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खडे वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उ0प्र0 वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षो का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पडने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वय अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरोलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्टि प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।

Rahul		
कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0	प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0	प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी0)

भू–वैज्ञानिक/ जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू–वैज्ञानिक/जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/शर्तो का निर्माण कार्य के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

Rahul		
कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी0)

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख–रखाव के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा वन्य जीव/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुँचाया जायेगा।

Rahul		
कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0	प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0	प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी0)

रसौई गैस/कैरोसिन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना में कार्यरत श्रमिकों/मजदूरों को रसोई गैस/कैरोसिन की आपूर्ति की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

A-2.36

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी0)

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

ग्राम	कोड	जनसंख्या
काण्डा	00255900	174
	कुल –	174

Rahul		
कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी0)

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी ग्राम्य विकास विभाग रूद्रप्रयाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग